प्रेसनोट –

दिनांक- 18.09.2026

जनपद मऊ ।

***पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-**

आज दिनांक 18.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन, कैन्टीन, आर.ओं. स्टोर व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया। साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 18.09.2026

थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ ।

पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.09.2026 को रेकौली गेट के पास से मु0अ0सं0- 313/2026 धारा- 87, 137(2) बीएनएस व

18 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र अमरदीप निवासी ग्राम मुगेसर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, हालपता – हट्टीमदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. राहुल कुमार पुत्र अमरदीप निवासी ग्राम मुगेसर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ, हालपता – हट्टीमदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 313/2026 धारा- 87, 137(2) बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 18.09.2026

2.स्थान – रेकौली गेट के पास।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 18.09.2026

थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.09.2026 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद मऊ के आदेश दिनांक 14.09.2026 के अनुपालन में वाद सांख्या- 1215/2026 कम्प्यूटरीकृत वाद सांख्या- डी202615510001215 सरकार बनाम अशोक चौहान अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधियम 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त अशोक चौहान पुत्र जगदीश चौहान निवासी सलेमपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को 03 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया।

अभियुक्त का नाम पता

1.अशोक चौहान पुत्र जगदीश चौहान निवासी सलेमपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0 09/2026 धारा 74, 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 296/2022 धारा 420, 467, 468, भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

3.मु0अ0सं0 358/2022 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

जिलाबदर करने का दिनांक

1.दिनांक- 18.09.2026

2.जिलाबदर की अवधि – 03 माह

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 18.09.2026

थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

दिनांक 14.09.26 को थाना चिरैयाकोट अन्तर्गत हुए हत्या के मामले में वांछित 03 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.09.2026 को भोगवजलालपुर बार्डर हनुमान मंदिर के पास ग्राम सरसेना से मु0अ0सं0-107/2026 धारा- 3(5),103(1) बीएनएस थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ से सम्बन्धित वाछिंत 03 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारीगण का चालान मा0 किशोर न्याय बोर्ड जनपद मऊ किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 16.09.2026 को 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. 03 नफर बाल अपचारी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0-107/2026 धारा- 3(5),103(1) बीएनएस थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 18.09.2026

2.स्थान – भोगवजलालपुर बार्डर हनुमान मंदिर के पास ग्राम सरसेना।

***प्रेसनोट* –**

दिनांक- 18.09.2026

थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।

दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.09.2026 को घाघरा नदी के पुल के पास से मु0अ0सं0- 217/2026 धारा- 87,137(2),64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से सम्बन्धित वाछिंत 01 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारीगण का चालान मा0 किशोर न्याय बोर्ड जनपद मऊ किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. 01 नफर बाल अपचारी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0-107/2026 धारा- 3(5),103(1) बीएनएस थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 18.09.2026

2.स्थान – घाघरा नदी के पुल के पास।

प्रेसनोट –
दिनांक- 18.09.2026
जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 18.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामसकल निवासी ग्राम होलीपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

2.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रेमचन्द्र यादव पुत्र कमला निवासी ग्राम ख्वाजाजहापुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***प्रेसनोट*–**

दिनांक- 18.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 18.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 28 टीम गठित कर जनपद के 28 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1340 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 368 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 04 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।